कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ।

प्रेस विज्ञप्ति

माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय/मुख्य संरक्षक, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के निदेश के अनुक्रम में सम्पूर्ण भारतवर्ष में उच्चतम न्यायालय से तहसील स्तर तक दिनांक–12.11.2016 को राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी अनुक्रम में जनपद स्तर पर जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री वीरेन्द्र कुमार के निदेशन में जिला न्यायालय से तहसील न्यायालय स्तर तक मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी के अनुसार राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत में निम्नलिखित वाद विचारणीय होंगे –

1– भूमि अध्याप्ति वाद,
2– बैंक वसूली वाद,
3– किराएदारी वाद,
4– उपभोक्ता फोरम संबंधी वाद,
5– नगर निगम/नगरपालिका कर वसूली वाद,
6– सेवा निवृत्ति परिलाभ संबंधी वाद,
7– पंजीयन/स्टाम्प संबंधी प्रकरण,
8– मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण,
9– मेढ़बन्दी व दाखिल खारिज संबंधी प्रकरण,
10– पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित प्रकरण,
11– अध्यापकों के वेतन, आदि के भुगतान से संबंधित प्रकरण,
12– राशन कार्ड, बी0पी0एल0 कार्ड, जाति व आय प्रमाण पत्र से संबंधित प्रकरण,
13– सेवा विवाद संबंधी प्रकरण,
14– श्रम विवाद संबंधी प्रकरण,
15– आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों से संबंधित प्रकरण,
16– सभी प्रकार के चालान(यथा–पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस अथवा आर0टी0ओ0 द्वारा किए गए चालान, मनोरंजन कर अधिनियम के अन्तर्गत किए गए चालान, दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम के अधीन चालान, बाट व माप अधिनियम के अधीन चालान, चलचित्र अधिनियम के अधीन चालान, नगर निगम/नगर पालिका द्वारा किए गए चालान, विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए चालान, वन अधिनियम के अन्तर्गत किए गए चालान सहित समस्त प्रकार के चालान),
17– ऐसे अन्य प्रकरण जिनमें पक्षकार पारस्परिक सद्भावन हेतु आपसी सुलह समझौते से निपटाना चाहें ।

प्राधिकरण सचिव श्री ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी ने मीडिया बन्धुओं, स्वयं सेवी संगठनों, अधिवक्ताओं, पराविधिक स्वयं सेवकों तथा जन सामान्य का आह्वाहन करते हुए अपील किया है कि इस सम्बन्ध में यथासंभव अधिकाधिक जागरूकता का संचार करते हुए प्रचार–प्रसार करें तथा राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों को लोक अदालत में लगवाते हुए उनका निस्तारण कराएं ।